भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .677

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

पीएम - गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

677. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्मित एक्सप्रेस-वे की राज्यवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत एक्सप्रेस-वे के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में पीएम-गति शक्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। पहुंच-नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) / एक्सप्रेसवे का विकास सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास परियोजनाओं की योजना, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है।

लगभग 2,474 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय एचएससी / एक्सप्रेसवे पर प्रचालन शुरू हो चुके हैं, जिनका राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं .	**राज्य**	**प्रचालन लंबाई)किमी(**
1	दिल्ली	9
2	गुजरात	310
3	हरियाणा	583
4	कर्नाटक	151
5	मध्य प्रदेश	244
6	राजस्थान	887
7	तेलंगाना	59
8	उत्तर प्रदेश	231

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 662 किलोमीटर लंबाई में पांच राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे (बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा, चित्तूर-थैचूर, हैदराबाद-विशाखापत्तनम और रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर) का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 287 किलोमीटर लंबाई का निर्माण हो चुका है।

(ग) सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

क. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर अनिवार्य डीपीआर तैयार करने सहित परियोजना नियोजन

ख. भूमि अधिग्रहण (एलए) और निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाएं सौंपना

ग. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करना

घ. रेलवे द्वारा जीएडी (सामान्य व्यवस्था ड्रॉइंग) के अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया

ड.. परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाकर संविदाकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

च. विवाद समाधान तंत्र को नया रूप देना

छ. "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट, ताकि निधियों की नगदी बढ सके

ज. परियोजनाओं की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा

*****